(b) if so, the main features of the scheme

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) and (b). The Planning Commission had, addressed the State Government requesting them to formulate special employment programmes for the benefit of rural and urban job seakers in the State involving central assistance to the extent of Rs. 2.18 crores. The State Government had submitted the following proposals involving an outlay of Rs. 2.18 crores and an employment potential of 20,272.

Name of Scheme	Rs. Lakhs
1. Expansion of employment exchanges .	5·25
2. Expansion & Evaluation of Nutrition Programmes	1.86
3. Civil defence and relief work including emergency relief . .	22·42
4. Tutorial centres for imparting education to children belonging to low income groups *viz.* annual income Rs. 3,600 . .	2·50
5. One teacher Pathsala to promote mass literacy in the State . .	1.50
6. Self-employment Training-*cum*-Production Centres encompassing Polytechnics, Forestry Programes, Animal Husbandry & Veterinary Services and Cottage & Small-scale Industries . . .	45·99
7. Works undertaken departmentally realating to improvement in rural environments, fisheries, tribal welfare, setting up of brick kiln factory etc.	117·13
8. Roads programme .	7·00
9. Monitoring, Evaluation and Surveys relating to Forestry, Roads etc. .	14·35

These proposals have been examined in the Planning Commission and given approval subject to certain modifications.

भारतीय राजनीति पर विदेशी धन का प्रभाव

1421. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय राजनीति को विदेशी हस्तक्षेप से बचाने के उद्देश्य से विदेशी धन और धर्मोपदेशकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा;

(ख) क्या एक विदेशी धर्मोपदेशक श्री एन० सी० सार्जेन्ट ने लोक सभा के 1971 में हुए चुनाव में मैसूर राज्य में लोगों से एक दल विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) साधारण तथा वास्तविक लेन-देनके अतिरिक्त विदेशी संगठनों, ऐजन्सियों अथवा व्यक्तियों से धन प्राप्त करने पर उपयुक्त प्रतिबन्ध लगाने के प्रयोजन से विधायी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। संसद में एक विधेयक शीघ्र पुरःस्थापित किया जायेगा। देश में विदेशी मिशनरियों के प्रवेश पर कोई रोक लगाने का विचार नहीं है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी कोई मिशनरी आपत्तिजनक गतिविधियों में ग्रस्त न हो, निगरानी रखी जाती है। किसी विदेशी मिशनरी को, जो देश में प्रवेश करना चाहती है, यह भी आश्वासन देना पड़ता है कि वह राजनितिक कार्यों में भाग नहीं लेगी।

(ख) और (ग). उस समय इस संबंध में एक रिपोर्ट 3 मार्च, 1971 के "दक्कन हैराल्ड" में छपी थी किन्तु मैसूर सरकार को रेव० एन० सी० सार्जेन्ट द्वारा की गई किसी ऐसी अपील की कोई सूचना नहीं है। रेव० सार्जेन्ट अब देश छोड़कर चले गये हैं।